


4-अनुसूचित जाति/जनजाति सब प्लान प्रशिक्षण योजना:-

अनुसूचित जाति/जनजाति सब प्लान के व्यक्तियों को रोजगारयुक्त बनाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा उक्त वर्ग के 45-45 दो बैचों हेतु शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न ट्रेडों में 4 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरान्त उन्हें टूलकिट्स व मानदेय एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। अभ्यर्थियों को आठवी पास होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु बेरोजगार युवकों को उम्र 18 वर्ष 45 तक के मध्य होना चाहिए।


उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र
हरदोई।